न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बइजलाश श्री नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 22/2015

अपीलाण्ट –

1. पुष्पराज पुत्र सोहनराज बोहरा
2. रमेशराज पुत्र सोहनराज बोहरा
3. दिनेशराज पुत्र सोहनराज बोहरा जातिगण जैन निवासीगण शिवजीनगर, जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. मदनकंवर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा तहसील जालोर पत्नी ओटसिंह जाति राजपूत निवासी मोडवाड़ा तहसील व जिला सिरोही
2. भैरूसिंह के का0मु0

   2/1 खंगारसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रूपनगर, जालोर

   2/2 बाबुसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा तहसील जालोर
3. जेठूसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा तहसील जालोर
4. भंवरीकंवर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी कोराणा तहसील आहोर
5. सबरकंवर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा पत्नी शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सराणा तहसील आहोर
6. रतनकंवर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कोलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
7. रतनसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी महेशपुरा तहसील व जिला जालोर
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री गैनमल जैन, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री निखिल दवे, अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

– निर्णय –

दिनांक : 21/9/22

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2013 श्रीमति मदनकंवर बनाम भैरूसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया, उसके साथ ही अस्थाई व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद में जैर अपील विवादित आराजी अपने पिता भीमसिंह की खातेदारी होना बताते हुए उक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत स्वयं का 1/18वां हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलाण्ट सहित अन्य रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट द्वारा रेकर्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई हैं। खातेदार भीमसिंह का देहान्त वर्ष 1976 को हो चुका है, जिसके पश्चात अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट की सहमति से जरिये नामान्तरकरण उक्त भूमि भीमसिंह के पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण समस्त रेस्पोडेन्ट की जानकारी में होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरकरण को आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई। अपीलाण्ट द्वारा जिस दस्तावेज से भूमि क्रय की, उक्त दस्तावेज को रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, इस पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण अपीलाण्ट को लौटा दिया गया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विड्रो कर लिया गया तथा इसके पश्चात दुबारा वाद प्रस्तुत किया, जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं हैं। जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है तथा अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। विधिक रूप से एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता भीमसिंह की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के खातेदार भीमसिंह निर्वसियति फौत होने के कारण उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

संख्या 1 का भीमसिंह की पुत्री होने के नाते जन्म से हक अधिकार निहित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता भीमसिंह फौत होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा जो नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें मात्र भीमसिंह के पुत्रों का नाम दर्ज किया गया। इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं थी। उक्त भूमि का बेचान अपीलाण्ट को किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि को बेचान अपीलाण्ट को किया जा चुका हैं। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष उक्त बेचान रजिस्ट्री को निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भूमि के हक अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, किन्तु तकनीकि त्रुटी से वाद में भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वाद को विड्रो कराने की अनुमति चाही, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व लोक अदालत में मजमे आम में जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, जो नोटिस अपीलाण्ट को तामील हुआ हैं। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित नहीं हुआ। इसके पश्चात मजमें आम में सम्यक् जांच पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील खारिज कराने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपने पिता भीमसिंह की खातेदारी होना बताते हुए पुत्री होने के नाते उक्त भूमि में से अपने 1/18वें हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने, विभाजन करवाने एवं अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज हैं। प्रकरण में मूल खातेदार भीमसिंह फौत होने पर वर्ष 1977 में उक्त भूमि उक्त भूमि भीमसिंह के पुत्र जेठूसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-बाली

व गुलाबसिंह के नाम दर्ज हुई। इसके पश्चात वर्ष 2010 में खातेदार जेठूसिंह व गुलाबसिंह द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान हस्तान्तरण की गई। इस भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मानीय सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.10.2011 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज़ किया। प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। आर0आर0डी0 1993 सुखदेव बनाम नाथू पेज 443 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "राजस्व अभिलेख की प्रविष्ठियां प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिऐ पर्याप्त (काफि) हैं। अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में व्यादेश के लिए मना नहीं करना है, अन्यथा यह कठिनाई और अपूर्णीय क्षति उत्पन्न करेगा।" हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट, जो कि रेकर्डेड खातेदार है, को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया गया, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलाण्ट वादस्थ भूमि के सद्भावी क्रेता होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। अभिलिखित अभिधारी का कब्जा भी दस्तावेजों से समर्थित माना जाता हैं। जहां तक जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक हिस्से का प्रश्न है, तो यह तथ्य मूल वाद में उभयपक्ष के अभिवचनों पर तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों की रोशनी में तनकियात विनिश्चय होने पर ही संभव होगा, किन्तु एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने से पूर्व निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं को विस्तृत रूप से विवेचित किया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं को विवेचित किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलाधीन प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह भी उद्भूत होता है कि क्या न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise " and "settelment". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2013 श्रीमति मदनकंवर बनाम भैरूसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विस्तृत टिप्पणी अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली